तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 12/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20.12.2023	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल इन्द्रसिंह पुत्र नाथूसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– वेरापुरा, पुलिस थाना सिरोही सदर उपस्थित। गैरसायल के अधिवक्ता श्री गोविन्द सिंह देवडा उपस्थित, जिन्होनें गैरसायल की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत प्रस्तुत इस्तागसा में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गैरसायल आले दर्जे का बदमाश व जुआरी है तथा आम लोगों जुआं खेलने के प्रेरित कर जुआं खेलाता है व अवैध शराब परिवहन करता है। गैरसायल मारपीट व झगडा फिसाद करने का आदि है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली सिरोही में आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत 3 मुकदमें दर्ज हुये, जिनमें से 01 मुकदमें में गैरसायल को सजा हुई व 02 मुकदमें संबंधित न्यायालय में पेण्डिंग है। कोतवाली पुलिस थाना सिरोही में गैरसायल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहित के तहत 05 व भारतीय दण्ड संहिता/एससी एसटी एक्ट के तहत 01 प्रकरण दर्ज हुआ है। गैरसालय के विरुद्ध धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत पुलिस थाना, सिरोही सदर में 2 मुकदमें दर्ज हुये, जिनमें बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये, जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है। गैरसायल के जुआं खेलने व खेलानें व अवैध शराब परिवहन करने से आम जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गैरसायल के विरुद्ध लोगों सूचना देते से कतराते है। अतः गैरसायल को जिलें से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित किया जावे। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि आम जन को गैरसायल से किसी तरह का कोई खतरा नही है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज किये गये है। गैरसायल ने विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता व एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज 06 मुकदमों में गैरसायल को दोषमुक्त किया गया है। गैरसायल द्वारा धारा 13 आरपीजीओं के दोनों मुकदमों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया था। गैरसायल के विरुद्ध कोई गंभीर प्रकृति के मुकदमें दर्ज नही है तथा न ही लम्बित है। गैरसायल वर्तमान में शांतिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। परिवार में एक मात्र कमाने वाला व्यक्ति गैरसायल है जो मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करता है, इसलिये रहम नजर रखकर गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा खारिज किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 12/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

कोतवाली सिरोही में आबकारी अधिनियम की धारा 19/54 के तहत 03 प्रकरण दर्ज हुए है, जिनमें से 01 प्रकरण में गैरसायल को दोषसिद्ध ठहराते हुए सजा/जुर्माने से दण्डित किया है व 2 मुकदमें पेण्डिंग न्यायालय है। गैरसायल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत 05 व भारतीय दण्ड संहिता/एससी एसटी एक्ट के तहत दर्ज 01 मुकदमा दर्ज हुआ, इन 6 मुकदमों में गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषमुक्त/ जरिये राजीनाम बरी किया गया है। गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सिरोही सदर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत 2 मुकदमें दर्ज हुये, जिनमें बाद अनुसंधान गैरसायल के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें गैरसायल को संबंधित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराते हुए जुर्माने से दण्डित किया गया है। जिसमें से गैरसायल के विरुद्ध पुलिस थाना सिरोही सदर में धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत दर्ज अपराध संख्या 35 दिनांक 26.3.2023 व 46 दिनांक 22.4.2023 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां, इन दोनों मुकदमों में गैरसायल के विरुद्ध बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत आरोप पत्रों व इन दोनों अपराध संख्या 35 दिनांक 26.3.2023 व 46 दिनांक 22.4.2023 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक क्रमशः 25.4.2023 व 05.5.2023 की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलबध है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी पाया गया है, परन्तु गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 22.4.2023 के बाद किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है एवं न ही ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलबध है।

पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित होता हो कि गैरसायल से आमजन में कोई भय व्याप्त है। गैरसायल के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर दंगा या शांति भंग करने, बलवा करने, आम जन को धमकी देने, महिलाओं व लडकीयों से छेडछाड या अशिष्ट टिप्पणी करने, हिंसात्मक कार्यो या बल प्रदर्शन द्वारा विधि पालक लोगों को अभिजासित करने, आम जन की सम्पति को संत्रास, खतरा या नुकसान करने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में, गैरसायल को गुण्ड़ा घोषित करना व निष्कासित करना न्यायसंगत नही है। अतः हमारे विनम्र अभिमत में पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर [illegible] दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:20:08 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.